



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act., 2009 No.25 of 2009)

Web Site – www.ggu.ac.in, Ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154

क्रमांक 304 / अका. / डीन नियु. / 2021

बिलासपुर, दिनांक


06 DEC 2021

आदेश

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्रमांक 25 की धारा 13 के अंतर्गत, परिनियम क्रमांक 05 (1) के प्रावधानानुसार प्रो०पी०के०बाजपेयी, आचार्य (शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग को कुलपति जी द्वारा भौतिकीय विज्ञान विद्यापीठ का अधिष्ठाता नियुक्त किया जाता है।


यह नियुक्ति दिनांक 07-12-2021 से 06-12-2024 तक अर्थात् 03 वर्ष के कार्यकाल के लिये की गई है।

आदेशानुसार,


06/12/21/c
कुलसचिव(कार्यवाहक) /c

प्रतिलिपि:—

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर मान० कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ ।
- 2., प्रो०पी०के०बाजपेयी, आचार्य—शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग की ओर सूचनार्थ ।
3. प्रो०गौतम कुमार पात्रा, आचार्य—रसायन विभाग की ओर सूचनार्थ ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कक्ष अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
5. समन्वयक,आई.टी.सेल, संगणक विज्ञान विभाग की ओर विश्वविद्यालय वेबपटल पर अपलोड हेतु प्रेषित ।
6. कार्यालय प्रति ।


सहायक कुलसचिव (अका०)